भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 327864

29 JUN 2017

(ट्रस्ट डीड स्टाम्प 800/– रूपये)

एच0 एस0 सेवा ट्रस्ट बरेली (उ0 प्र0)

पता–27 शक्तिनगर, पीलीभीत बाई पास रोड, निकट मेडीसिटी अस्पताल, पोस्ट– रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ0 प्र0)

स्मृति–पत्र तथा नियामावली

से संलेख ट्रस्ट को घोषित किया जाता है, तथा बरेली में स्थापित किया जाता है, आज दिनांक.....1.0.....जुलाई सन् 2017 द्वारा

1. जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली

2. अमित राज सिंह पुत्र श्री महीपाल सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली

3. सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली

4. माया देवी पत्नी श्री दिनेश पाल सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 327863

29 JUN 2017

2

5. किरन यादव पत्नी केशव चौधरी ग्राम कठोडा सिकन्दरपुर जिला बलिया
6. सुधांशु यादव पत्नी श्री नवनीत कुमार आवास विकास कॉलोनी जिला मुरादाबाद।
7. कविता यादव पत्नी मनोज कुमार आवास विकास कॉलोनी चंदौसी जिला सम्भल।
8. सरिता यादव पत्नी श्री विवेक कुमार 824, ट्यूलिप ग्रान्ड आपार्टमैंट पीलीभीत बाईपास रोड बरेली।
9. फुन्दन खां पुत्र श्री अहमद ग्राम तिलियापुर तहसील व जिला बरेली।
10. छेदा लाल पुत्र श्री मिही लाल ग्राम मिर्जापुर तहसील आंवला जिला बरेली।
11. प्रताप सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल ग्राम भुता तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

संस्थापक ट्रस्टीगण ने निर्वाचन करके कमांक संख्या–01पर अंकित जगमोहन सिंह को ट्रस्ट का अध्यक्ष, कमांक संख्या–2 पर अंकित अमित राज सिंह को सचिव तथा कमांक संख्या–3 पर अंकित सुरेन्द्र पाल सिंह को कोषाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया है, और इस ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसका नाम एच0 एस0 सेवा ट्रस्ट बरेली रखा गया है, प्रत्येक ट्रस्टी ने रूपये 1000/– नकद ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु तथा स्थापना एवं प्रारम्भिक कोष की स्थापना हेतु प्रदान किए हैं। अब यह प्रतिज्ञा पत्र संस्थापक ट्रस्टीगण द्वारा निम्न प्रकार पुष्ट है:–

ट्रस्ट के निष्पादक इस ट्रस्ट की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करते हैं

1. ट्रस्ट का नाम– एच0 एस0 सेवा ट्रस्ट बरेली
2. ट्रस्ट का कार्यालय– 27 शक्ति नगर, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
   ट्रस्ट का कार्यालय अन्य अन्य स्थानों पर भी स्थानांतरित हो सकता है, जैसे कि संस्थापक ट्रस्टी समयानुसार तय करें।
3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।
4. ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

A- पर्यावरण संरक्षण एवं विकास हेतु जन उपयोगी कार्य करना।

B- खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य करना।

Amit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 327862

मुद्रांक मूल्य कोषाधिकारी

29 JUN 2017

5. ट्रस्ट की सम्पत्ति– इस ट्रस्ट की सम्पत्ति में प्रारम्भिक धन संस्थापक ट्रस्टी द्वारा दिया गया धन होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कय की गई तथा शुभ चिन्तकों तथा दान दाताओं द्वारा भविष्य में दान स्वरूप प्रदान किया गया नकद धन, चल व अचल सम्पत्ति भी ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान सांसद व विधायक निधि द्वारा प्राप्त अनुदान भी ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। ट्रस्ट की सम्पत्ति से ट्रस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी को कोई लाभ आदि देय नहीं होगा। ट्रस्ट की अचल सम्पत्तियों से प्राप्त आय से ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान संचालित किये जायेंगे। ट्रस्ट की सम्पत्ति का पूरा लेखा–जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा।

6. ट्रस्ट को दान– ट्रस्ट किसी प्रकार का दान जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन लोगों द्वारा दिया जायेगा। जो ट्रस्ट के उद्देश्यों में निष्ठा एवं विश्वास रखते हैं से प्राप्त किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट एवं उसके उद्देश्यों में विश्वास करता हो ट्रस्ट को नकद धन चल व अचल सम्पत्ति दान कर सकता है। जिसका लेखा–जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा। ऐसे व्यक्ति या संस्था को ट्रस्ट निम्नवत् अपना सदस्य बना सकता है।

यह ट्रस्ट स्वतंत्र है तथा आज दिनांक 10.07.2017 तक ट्रस्ट के नाम कोई चल व अ-चल सम्पत्ति नहीं है।

1. संरक्षक
2. आजीवन सदस्य

1. संरक्षक– किसी एक व्यक्ति या संस्था को ट्रस्ट का संरक्षक बनाया जा सकता है यदि वह ट्रस्ट को ग्यारह लाख रूपये नकद या इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति दान या उपहार स्वरूप दी हो और ट्रस्टी परिषद उसे स्वीकार कर ले। उसका कार्यकाल आजीवन होगा।

Amit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DU 21554

2. आजीवन सदस्य– किसी व्यक्ति को ट्रस्ट आजीवन सदस्य बना सकता है यदि उसने पांच लाख रूपये नकद अथवा इतने ही मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति ट्रस्ट को दान व उपहार स्वरूप दी हो और ट्रस्टी परिषद द्वारा उसे स्वीकार कर लिया हो। संरक्षक एवं आजीवन सदस्य बनने हेतु एक लिखित आवेदन पत्र किसी संस्थापक ट्रस्टी की संस्तुति पर करना होगा। संरक्षक या आजीवन सदस्य को किसी मताधिकार का अधिकार नही होगा। परन्तु उन्हे बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

7.संस्थापक ट्रस्टीगण–

1. जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली
2. अमित राज सिंह पुत्र श्री महीपाल सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली
3. सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली
4. माया देवी पत्नी श्री दिनेश पाल सिंह ग्राम रजपुरी नवादा तहसील व जिला बरेली
5. किरन यादव पत्नी केशव चौधरी ग्राम कठोडा सिकन्दरपुर जिला बलिया
6. सुधांशु यादव पत्नी श्री नवनीत कुमार आवास विकास कॉलोनी जिला मुरादाबाद।
7. कविता यादव पत्नी मनोज कुमार आवास विकास कॉलोनी चंदौसी जिला सम्भल।
8. सरिता यादव पत्नी श्री विवेक कुमार 824, टयूलिप ग्रान्ड आपार्टमैंट पीलीभीत बाईपास रोड बरेली।
9. फुन्दन खां पुत्र श्री अहमद ग्राम तिलियापुर तहसील व जिला बरेली।
10. छेदा लाल पुत्र श्री मिही लाल ग्राम मिर्जापुर तहसील आंवला जिला बरेली।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 215542

11. प्रताप सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल ग्राम भुता तहसील फरीदपुर जिला बरेली।
वर्तमान में ग्यारह संस्थापक ट्रस्टी हैं, सभी संस्थापक ट्रस्टीगणों को मिलाकर ट्रस्टी परिषद कहलायेगी।

8. ट्रस्टी का कार्यकाल–संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल आजीवन होगा। उनके न रहने पर उनके वैध उत्तराधिकारी यदि ट्रस्टी बनना चाहोगे तो ट्रस्टी परिषद को अपना आवेदन पत्र देकर ट्रस्टी बन सकते हैं।

9. एक रजिस्टर ट्रस्टीगण संरक्षक व आजीवन सदस्यों का रखा जायेगा। जिसमें श्रेणी अनुसार नाम और पता अंकित होगा।

10. प्रबन्ध पदाधिकारीगण– ट्रस्ट के कार्य का प्रबन्ध अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। परन्तु जब तक नये पदाधिकारी पद ग्रहण नहीं करते तब तक वह पद पर बने रहेंगे। आगामी चुनाव कार्यकाल की समाप्ती के तीन माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

11. अध्यक्ष के अधिकार– नियमावली में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष ट्रस्ट का मुख्य नियन्त्रक अधिकारी होगा तथा ट्रस्टी परिषद एवं प्रबन्ध पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेगा। आवश्यकता पडने पर किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करने तथा ट्रस्ट के विरूध दायर किसी मुकदमें की पैरवी करना तथा समझौता करना आदि का अधिकार भी अध्यक्ष का होगा।

12. सचिव के अधिकार– नियमावली में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त सचिव सभी प्रकार की बैठकों का आयोजन, उनमें उपस्थित रहकर कार्यवाही का संचालन तथा बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करेगा। तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा।

13. कोषाध्यक्ष– नियमावली में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कोषाध्यक्ष द्वारा आय व्यय का पूर्ण लेखा रखा जायेगा तथा प्रति वर्ष सी० ए० से लेखा का आडिट करायेगा।

Amit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU 327861

2.6 JUN 2017

3

C- राजनैतिक शिक्षा का प्रसार तथा मानवीय स्नेह एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत करना।

D- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उचित संस्थान से मान्यता प्राप्त करके उनका संचालन करना।

E- ट्रस्ट असाम्प्रदायिक तथा सैक्यूलर ट्रस्ट के रूप में बिना जाति, धर्म एवं लिंग के भेद किये कार्य करेगा।

F- ग्रामीण विकास हेतु दुग्ध उत्पादन करना तथा दुग्ध डेयरी की स्थापना करना।

G- ग्रामीण अंचलों एवं आविकसित क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम को साकार रूप देने हेतु विभिन्न स्तर के किसी भी नाम से प्राईमरी स्तर, जूनियर हाई–स्कूल स्तर, हाई–स्कूल स्तर, माध्यमिक स्तर, इण्टर कॉलेज तथा उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय पी० जी० कॉलेज तथा तकनीकी संस्थान, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पैरामेडिकल कॉलेज आदि की स्थापना करना तथा नियमानुसार संचालन करना।

H- छात्र/छात्राओं के रहने हेतु छात्रावास, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाना।

I- ऐसे अन्य कार्य भी करना जो ट्रस्टीगण द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर निर्धारित किये जायें।

इस ट्रस्ट का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहेगा चाहे एक भी ट्रस्टी रहे या न रहे, तत्कालीन अध्यक्ष नये ट्रस्टी बनाकर पुनः गठन कर लेगा और भावी रूप रेखा तैयार कर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट का संचालन करेगा। ट्रस्ट द्वारा धन, चल व अचल सम्पत्ति समय–समय पर दान उपहार अनुदान, चंदा व ट्रस्ट की आय व संसाधनों से खरीददारी से अर्जित की जायेगी तथा यह सब ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। ट्रस्ट की सम्पत्ति तथा उससे होने वाली आय से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/संस्थानों कॉलेज आदि की उन्नति के लिए उपयोग की जायेगी ट्रस्ट की सम्पत्ति तथा आय से ट्रस्टीयों का कोई सरोकार नही होगा।

Amit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DU/215543

14. ट्रस्टी परिषद का गठन–

A- ट्रस्टी परिषद में ग्यारह से अधिक ट्रस्टी नहीं होंगे।

B- प्रथम ट्रस्टी परिषद जिसका गठन ट्रस्ट की घोषणा के समय हुआ है। वह ट्रस्टी ही वर्तमान ट्रस्टी परिषद के सदस्य रहेंगे।

C- किसी कारण से ट्रस्टी परिषद में कोई स्थान मृत्यु त्याग–पत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो तो उसकी पूर्ति हेतु संस्थापक ट्रस्टीगण बहुमत से किसी को नामित कर सकते हैं। यदि कोई उचित संरक्षक या आजीवन सदस्य उपलब्ध हो तो इसे भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है।

D- कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्टी परिषद का सदस्य नहीं रहेगा, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित किया हो या दण्डीत किया गया हो या उसने त्याग पत्र दे दिया हो। ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर भी उसे निकाला जा सकता है, परन्तु उसे स्पष्टीकरण का उचित अवसर दिया जायेगा।

15. ट्रस्टी परिषद की बैठकें– ट्रस्टी परिषद की साधारण बैठक तीन माह में एक बार अथवा ट्रस्ट के कार्य हेतु अध्यक्ष द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। बैठक हेतु पांच ट्रस्टीगणों की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य होगी। ट्रस्टी परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जायेंगे बैठक हेतु ट्रस्टीगण को सूचना सात दिन पूर्व देनी होगी। सूचना व्यक्तिगत या टेलीफोन पर भी दी जा सकती है।

16. आयकर छूट– आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर छूट प्राप्त की जायेगी।

17. ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारी भी रखे जायेंगे जिनका वेतन भत्ते आदि ट्रस्ट के संसाधनों से ही दिया जायेगा।

18. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त नकद दान धन, चल व अचल सम्पत्ति का पूरा लेखा जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा।